

16

सन् 2015

किस्म मुकदमा

वाह

मोहन लाल

बनाम

श्रीमति फूली बर्डि

आदेशिका

हस्ताक्षर/सूचना

37/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित  
 हैं प्र.सं. (11) (12) बावजूद तामीन के अनुपस्थित  
 हैं प्रतिवादी सं. (1) से (10) व (13) से (16) के  
 सम्मन अरकर एमिसरिट AD से तामीन  
 हेतु हर्ज शर्चे सहित (7) दिवस में पेश  
 करें। पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक  
 26.8.19 को पेश हो। ~~सं. सं. 11 से 16/19~~  
~~अधिवक्ता~~



28/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित  
 हैं प्र.सं. (11) (12) को न्यायालय संपन्न कर  
 आवाजे अगवाज गयी परन्तु उपस्थित नहीं हुए।  
 अतः उनके विरुद्ध एड एकीकृत कार्रवाई की  
 जाती है। प्र.सं. (1) से (10) व (13) से (16) के  
 सम्मन अरकर एमिसरिट AD से तामीन  
 हेतु हर्ज शर्चे सहित पेश करें। पेश  
 होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 4.9.19  
 को पेश हो।



4/19

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय संपन्न होकर  
 वादी आवाजे अगवाज गयी परन्तु वादी स्वयं  
 व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हैं।  
 लिहाज प्रमाण अदम्य बँटवी / अदम्य हाजरी के  
 खारीज किया जाय है। पत्रावली फौजल शुभान  
 हो का नम्बर 11/19 है। तैरुपि खुले न्यायालय  
 में सुनाया गया।





सहायक कलेक्टर  
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़  
 जिला-राजसमन्द